न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

संदेहात्मक वाद सं0–07/17–18

बन्धन कोयरी वगै0 बनाम राज्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
24.03.2021	अंचल अधिकारी, ईटखोरी के पत्रांक–522, दिनांक–06.10.2017 द्वारा अभिलेख वाद संख्या–332/16–17 प्राप्त है। तदनुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारम्भ किया गया है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित प्रतिवादी को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्ष द्वारा अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। अचंल अधिकारी, ईटखोरी ने अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि – झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की **भूमि– मौजा–गुल्ली, थाना–ईटखोरी, खाता संख्या–72, रकवा–1.40 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है,** जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के पृष्ठ संख्या–96 पर जमाबंदी रैयत बंधन कोयरी एवं रोहन कोयरी के नाम से है। आदेश पत्रक में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह अभिलेख संदेहात्मक जमाबंदी वाद संख्या–232/16–17 बंधन कोयरी वो रोहन कोयरी, पिता–जानकी कोयरी ग्राम–गुल्ली के विरूद्ध दायर की गयी है, संबंधित जमीन ग्राम–गुल्ली, थाना नं0 10 खाता संख्या–72 प्लॉट संख्या–01 रकवा–1.40 एकड़ की है जिस पर संबंधित रैयतों तथा वर्तमान में उनके वारिशानों का दखल कब्जा चला आ रहा है। संदेहात्मक जमाबंदी के क्रम में संबंधित रैयतों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग की गई जिसमे संबंधित रैयतों ने निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया 1) जमीन्दार द्वारा	

1 order

निर्गत हुकुमनामा जो बिक्रम संवत 1998 वर्ष 1941 में निर्गत की गयी है इसके अनुरूप जमीन्दारी लगान रसीद विक्रम संवत 2003 यानि वर्ष 1949 तक निर्गत है इसी के अनुरूप जमीन्दारी उन्मूलन के बाद प्रथम सरकारी रसीद जो वर्ष 1954 के लिए निर्गत है साथ ही साथ 1955–56 का लगान रसीद वर्ष 1965 से 68–69 तक रसीद वर्ष 1970–71 का लगान रसीद वर्ष 1982–83 का लगान रसीद तथा वर्ष 1985–86 वर्ष 2006–07 तक एवं वर्ष 2008–09 का लगान रसीद निर्गत है। इसके बाद संदेहात्मक जमाबंदी का मामला दायर किया गया और लगान रसीद निर्गत होना बंद कर दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरकारी पत्रांक–2861(5) रा0, दिनांक–08.06.2017 के अनुरूप रैयतो का जमीन्दार द्वारा निर्गत हुकुमनामा वर्ष 1941 जमीन्दारी रसीद एवं जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी लगान रसीद जो वर्ष 1954 से 2008–09 तक निर्गत है और जमीन उपरोक्त रैयतो के दखल कब्जा जोत अबाद है ऐसी परिस्थिति में ऑनलाईन रसीद निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह वाद अंचल अधिकारी, ईटखोरी का संदेहात्मक वाद संख्या–232/2016–17 में पारित आदेश में अनुशंसा के उपरांत उपलब्ध कराया गया है। यह है कि ग्राम–गुल्ली थाना–ईटखोरी, जिला–हजारीबाग वर्तमान जिला–चतरा के खाता संख्या–72 सर्वे के दौरान खतियान में **गैरमजरूआ खास भूमि दर्ज है।** यह है कि बंधन कोयरी एवं रोहन कोयरी दोनों जानकी कोयरी के पुत्र है, ग्राम–गुल्ली, थाना–ईटखोरी, थाना नं0–10 के खाता संख्या–72, प्लॉट संख्या–01, रकवा–1.40 एकड़ भूमि हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है एवं पूर्व जमीन्दार द्वारा सवंत 1998 जो कैलेन्डर वर्ष 1941 के समतुल्य है, बंधन कोयरी एवं अन्य से सलामी लेकर जमीन्दारी लगान रसीद प्राप्त किये है। बंदोबस्ती प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज होकर, बंदोबस्त भूमि पर फसल उगा कर उपयोग करते आ रहे है। बंधन कोयरी एवं अन्य लगान देकर पूर्व जमीन्दार एवं सरकारी रसीद प्राप्त किये है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद अचंल अधिकारी, ईटखोरी बंधन कोयरी एवं अन्य के नाम से डिमाण्ड प्रारंभ किया गया। पंजी–II के पृष्ठ संख्या–96 पर स्थापित कर लगान देकर प्रथम रसीद वर्ष 1954 में बंधन कोयरी एवं अन्य के नाम से निर्गत हुआ। उसके बाद आवेदक लगातार रसीद प्राप्त करते रहे है। बंधन कोयरी एवं रोहन कोयरी के मृत्यु के बाद उनके वंशज उक्त भूमि पर काबिज हुए। वे लगान देकर बंधन कोयरी के नाम से 2008–09 तक रसीद प्राप्त करते रहे है। यह

भी उल्लेखित प्रासंगिक है कि अचंल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा संदेहात्मक वाद बंधन कोयरी एवं अन्य के विरूद्ध प्रारंभ किया गया, उसके बाद अचंल हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग की गई एवं नोटिस निर्गत किया गया। उसके बाद आवेदक द्वारा समर्पित संबंधित कागजात एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर एवं आवेदक का दखल कब्जा को देखते हुए अचंल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा बंधन कोयरी एंव अन्य के नाम से रसीद निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि एक बार कायम जमाबंदी संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है। बंधन कोयरी के वंशज के आज तक उक्त भूमि पर काबिज है और कहीं से कोई आपति प्राप्त नहीं है।अचंल अधिकारी, ईटखोरी से प्राप्त अनुशंसा को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रथम पक्ष का समर्पित जवाब तथा अचंल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा पारित आदेश एवं उपलब्ध निम्न न्यायालय का अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से निम्न बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. **गैरमजरूआ खास जमीन।**
2. **हुकुमनामा से प्राप्त जमीन।**

1. **गैरमजरूआ खास जमीन** :– अंचल अधिकारी, ईटखारी के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि– जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की **भूमि– मौजा–गुल्ली, थाना–ईटखोरी, खाता संख्या–72, रकवा–1.40 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है,** जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के पृष्ठ संख्या–96 पर जमाबंदी रैयत बंधन कोयरी एवं रोहन कोयरी के नाम से है।

2. **हुकुमनामा से प्राप्त जमीन का मामला** :– अंचल अधिकारी, ईटखारी के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि–संदेहात्मक जमाबंदी के क्रम में संबंधित रैयतों को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग की गई जिसमें संबंधित रैयतों ने निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया–► जमीन्दार द्वारा निर्गत हुकुमनामा जो बिक्रम संमत 1998 वर्ष 1941 में निर्गत की गयी है।

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020

के पारा 9 के कंडिका (II) में स्पष्ट निदेश दिया गया है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

उपरोक्त अचंल अधिकारी, ईटखोरी का आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों/तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में पुनः विधिसम्मत्/न्यायसंगत एवं संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए अचंल अधिकारी आदेश पारित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, ईटखोरी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

24/03/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

24/03/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.02.15 03:20:39 -08:00
Location: 2401:4900:3840:6347:4813:47ca:9b65:19dc